



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.02.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

जल्दी ही होंगे जनपद के थानों का परिसर वाहनों से मुक्त दिखेंगे सुंदर



आज दिनांक 23.02.2023 पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा पुलिस के माल मुकदमों से संबंधित वाहन, सीज वाहन, एक्सीडेंट वाहन व अन्य अभियोगों में पकड़े गये वाहनों को जो थाना परिसर में खड़े रहते है। थानों को साफ रखने के उद्देश्य से चौकी रामापुर अन्तर्गत ग्राम रंगीलानगर में जल्द ही इन वाहनों को एक जगह रखने के लिए 56 हजार वर्ग फुट में एक यार्ड के हो रहे निर्माण का भौतिक एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया।

**थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र मैकूलाल को 01 अदद चोरी का मोबाइल, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.02.2023 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र मैकूलाल नि० ग्राम डांगा थाना तिकुनियां जनपद खीरी को क्लेशरण तिराहे के पास बहदग्राम हरद्वारी थाना सिंगाही जनपद खीरी से 01 अदद मोबाइल, 01 अदद मोटरसाइकिल सम्बन्धित मु०अ०सं० 14/2023 धारा 379/411/279/337/338 भादवि० थाना सिंगाही जनपद खीरी को 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंगाही पर मु०अ०सं० 39/2023 धारा 3/25 ARMS ACT पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

राजकुमार पुत्र मैकूलाल नि० ग्राम डांगा थाना तिकुनिया जनपद खीरी

**बरामदगी-**

- 01 अदद मोबाइल
- 01 अदद मोटरसाइकिल
- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ०नि० मंजीत सिंह तोमर, थाना सिंगाही
2. हे०का० कौशल सिंह थाना सिंगाही
3. का० कुलदीप यादव थाना सिंगाही

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त सगीर पुत्र लतीफ को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.02.23 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद करके अभियुक्त सगीर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम दुधवा मिदनिया थाना फूलबेहड़ खीरी को बनवारी पुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 175/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

सगीर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम दुधवा मिदनिया थाना फूलबेहड़ खीरी

**बरामदगी-**

01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 चेतन प्रकाश तोमर, (चौकी प्रभारी महेवागंज) थाना कोतवाली सदर
2. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश तिवारी कोतवाली सदर
3. हे0का0 नीरज सिंह कोतवाली सदर
3. हे0का0 हिमांशु सिंह कोतवाली सदर

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, सोशल मीडिया पर वायरल कार का MV ACT की धाराओं में 6,500 रुपये का सम्मम शूल्क अधिरोपित किया गया



सोशल मीडिया पर हुंडई वैन्यू कार संख्या (UP 31 BJ 1937) से एक लड़के द्वारा चलती कार की सनरूफ खोलकर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था उक्त वीडियो का कोतवाली पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त कार के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त कार श्रीमती सरिता पत्नी शत्रोहन लाल निवासी सावित्री देवी कालोनी कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी की होना पाया गया, उक्त कार से स्टंट कर रहे लड़के के सम्बंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि वह वाहन स्वामिनी का लड़का देवेन्द्र वर्मा था जिसके द्वारा पूर्व दीपावली के पर्व पर उक्त वीडियो बनाया गया था।

उक्त कार का नियमानुसार अन्तर्गत धारा MV ACT में 6,500 रुपये का सम्मम शूल्क अधिरोपित किया गया।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त हिमांशू निषाद पुत्र हरिश निषाद को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.02.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त हिमांशू निषाद पुत्र हरिश निषाद को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 172/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

**वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण**

1. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 369/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 556/13 धारा 506/307 भादवि में वारंटी अभियुक्त धत्री पुत्र अरूण निवासी सिसैयाकला थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 189 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **189 लीटर** अवैध कच्ची शराब व **05 शराब भट्टी** बरामद कर **10 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए।